संख्याः– 839 /उन्तीस/04/02–(52पे0)/2002

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2004

विषय गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सम्बंधी प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्राक 1303/गंगा प्रदूषण/दिनाक–28–03–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा कार्ययोजना प्रथम चरण की परिसम्पत्तियों के रखरखाव सम्बंधी आगणन अनु0 लागत रू0 680.26 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 505.56 लाख (रू0 पॉच करोड पॉच लाख छप्पन हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2772/उन्तीस/04 (52पे0)/2002, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 द्वारा दी गई थी तथा उक्त योजना हेतु शासनादेश संख्या 928/उन्तीस/04 (52पे0)/2002, दिनांक 27.04.2004 एंव शासनादेश संख्या 2583/उन्तीस/04 (52पे0)/2002, दिनांक 02 नवम्बर, 2004 द्वारा कुल रू0 500.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गई।

इस सम्बध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.03.2005 द्वारा हरिद्वार नगर की आन्तरिक सीवर व्यवस्था के रखरखाव हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन 92.28 लाख का परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण राशि रू0 89.85 लाख की लागत पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उपरोक्त प्रस्तर–1 में कुल लागत रू0 505.56 लाख के सापेक्ष अवमुक्त रू0 500.00 लाख में से अवशेष रू0 5.56 लाख तथा उपरोक्त औचित्यपूर्ण राशि रू0 89.85 लाख अर्थात कुल रू0 95.41 लाख (रू0 पिचानब्बे लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय हेतु संलग्न बी0एम–15 के विवरणानुसार बचतों के व्यावर्तन द्वारा व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल

कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3– धनराशि व्यय के सम्बंध में शेष अन्य शर्तें उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2004 एंव 02.11.2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी।

4 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02– मल निकासी तथा सफाई–आयोजनागत–106 जलप्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु पेयजल निगम को अनुदान (फेज–1 एवं 2)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 1198/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः– (1)/उन्तीस/04/02–(52पे0)/2002, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4–मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
5–महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,देहरादून ।
6–परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार ।
7–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 पेयजल मंत्री ।
8–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ ।
9–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

बी०एम०–15 पुनर्विनियोग 2004–05

सलग्नक–1

आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी:– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।

प्रशासनिक विभाग:– पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

धनराशि (रू० हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	नानक मदवार अव्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–4 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5		6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215– जलपूर्ति तथा सफाई				(क) भारत सरकार से धनराशि सीधे अवमुक्त होने के कारण प्राविधान में बचत हुई।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				02– मल निकासी तथा सफाई–आयोजनागत				
102–ग्रमीण जलपूर्ति कार्यक्रम				106– जलप्रदूषण का निवारण।				(ख) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				03– गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु पेयजल निगम का अनुदान				
07–स्वजलधारा कार्यक्रम (90% के०स०)				00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहाय				
20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता 11618	–	–	11618(क)		9541(ख)	59541	2077	
11618	–	–	11618		9541	59541	2077	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या – 1195 (क)वित्त अनु०–3/2005
देहरादून : दिनांक 31 मार्च 2005
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(के०सी०मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 839 (2)/उन्तीस/05–2–(52पे०)/2001, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, देहरादून । 2. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव